[illegible] 07/2021 GCMS ID-2021/18 [illegible] 21.01.2021

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

राजेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री रामजीलाल मीना आयु 31 साल जाति मीना निवासी खेड़ला तहसील सपोटरा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खेड़ला, तहसील सपोटरा जिला करौली राज. – अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरुद्ध निर्णय व आदेश जिला रसद अधिकारी करौली आदेश दिनांक 10.02.2020 जिसके द्वारा अपीलांट का ग्राम पंचायत बगीदा का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।

निर्णय दिनांक 31.03.2021

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी बांसबाड़ा के पत्रांक एफ.32( )रसद/वितरण/2019/637 दिनांक 13.11.2019 द्वारा राजेन्द्र प्रसाद मीना एफपीएस कोड 19476 खेड़ला तहसील सपोटरा जिला करौली द्वारा बांसबाड़ा जिले के उपभोक्ताओं के राशनकार्डों पर फर्जी ट्रांजैक्शन कर गेंहू का दुरुपयोग किये जाने की जांच गठित जांच दल द्वारा करवायी गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट डीलर द्वारा दिनांक 10.11.2019 से 13.11.2019 तक बांसबाड़ा में 229 राशनकार्ड, भीलवाड़ा में 70 राशनकार्ड व उदयपुर में 32 राशनकार्ड कुल 331 राशनकार्डों जो कि बाईपास (ऐसे राशनकार्ड जिनमें बायोमैट्रिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है) है, पर अवैध ट्रांजैक्शन कर कुल 77.75 क्विं. का फर्जी वितरण किया गया। डीलर के अटैच भाग 8205 व मूल भाग 19476 पर राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन करने पर 27.68 क्विं. गेंहू एवं 104 किलोग्राम चीनी कम पायी गई। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा कुल 105.43 क्विं. गेंहू एवं 104 किलोग्राम चीनी का दुरुपयोग किया जाना पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र दिनांक 10.02.2020 को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत खेड़ला का उचित मूल्य दुकानदार रहा है। अपीलाण्ट का अनुज्ञापत्र दिनांक 10.02.2020 को जिला रसद अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है जिस आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय परवर्स, आरबिट्रेरी, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपने आदेश में कुल 331 राशन कार्डो पर अवैध ट्रांजैक्शन से कुल 77.95 क्विंटल गेंहू का फर्जी वितरण एवं अपीलाण्ट के स्टॉक में 87.68 क्विं. गेंहू होना साबित मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो पूर्णतया विधि विरुद्ध है क्योंकि राशन कार्डों के जरिये फर्जी वितरण व रसद सामग्री स्टॉक में कम होना किसी भी जांच से साबित नहीं है। जिला रसद अधिकारी

जिला कलक्टर
करौली

द्वारा प्रश्नगत निर्णय अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। किसी भी नोटिस की तामील अपीलाण्ट पर नहीं हुई है। अपीलाण्ट द्वारा किसी भी प्रकार रसद सामग्री का दुरुपयोग अथवा कालाबाजारी नहीं की गई है। उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थी को प्रथम बार दिनांक 30.12.2020 को जिला रसद अधिकारी कार्यालय में आने पर हुई। तब अपीलार्थी ने उसी दिवस उक्त आदेश व दस्तावेजों की नकल के लिए आवेदन किया जो नकलें अपीलार्थी को दिनांक 04.01.2021 को प्राप्त हुई हैं। इस कारण आदेश पारित करने की तारीख से नकल प्राप्त होने की अवधि को क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपील पेश करने में होने वाले विलम्ब को क्षमा रकने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम के अधीन प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी बांसबाड़ा के पत्रांक एफ.32( )रसद/वितरण/2019/637 दिनांक 13.11.2019 द्वारा राजेन्द्र प्रसाद मीना एफपीएस कोड 19476 खेड़ला तहसील सपोटरा जिला करौली द्वारा बांसबाड़ा जिले के उपभोक्ताओं के राशनकार्डो पर फर्जी ट्रांजैक्शन कर गेंहू का दुरुपयोग किये जाने की जांच गठित जांच दल द्वारा करवायी गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट डीलर द्वारा दिनांक 10.11.2019 से 13.11.2019 तक बांसबाड़ा में 229 राशनकार्ड, भीलवाड़ा में 70 राशनकार्ड व उदयपुर में 32 राशनकार्ड कुल 331 राशनकार्डों जो कि बाईपास (ऐसे राशनकार्ड जिनमें बायोमैट्रिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है) है, पर अवैध ट्रांजैक्शन कर कुल 77.75 क्विं. का फर्जी वितरण किया गया। डीलर के अटैच भाग 8205 व मूल भाग 19476 पर राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन करने पर 27.68 क्विं. गेंहू एवं 104 किलोग्राम चीनी कम पायी गई। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा कुल 105.43 क्विं. गेंहू एवं 104 किलोग्राम चीनी का दुरुपयोग किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा उक्त अनियमितताएं किये जाने पर अपीलार्थी राशन डीलर का राशन प्राधिकार पत्र दिनांक 13.11.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी राशन डीलर के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाये जाने के आदेश पारित किये गये जिसकी पालना में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा थाना सपोटरा में एफ.आई.आर. संख्या 0434 दिनांक 19.11.2019 दर्ज करायी गई। अपीलार्थी को नोटिस क्रमांक 1062 दिनांक 19.11.2019, रजिस्टर्ड डाक नोटिस क्रमांक 1418 दिनांक 13.01.2020 जारी किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा नोटिस का जवाब नहीं देना अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा राशन सामग्री का दुरुपयोग/कालाबाजारी किया जाना साबित करता है। इस प्रकार विधिक कार्यवाही उपरांत अपीलार्थी राशन डीलर का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। दिनांक 10.11.2019 से 13.11.2019 तक अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा बांसबाड़ा में 229 राशनकार्ड, भीलवाड़ा में 70 राशनकार्ड व उदयपुर में 32 राशनकार्ड कुल 331 राशनकार्डों जो कि बाईपास (ऐसे राशनकार्ड जिनमें बायोमैट्रिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है) है, पर अवैध ट्रांजैक्शन कर कुल 77.75 क्विं. का फर्जी वितरण किया गया। डीलर के अटैच भाग 8205 व मूल भाग 19476 पर राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन करने पर 27.68 क्विं. गेंहू एवं 104 किलोग्राम चीनी कम पायी गई। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा कुल 105.43 क्विं. गेंहू एवं 104 किलोग्राम चीनी का दुरुपयोग किया जाना पाये जाने पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 13.11.2019 को निलंबित किया गया है एवं अपीलार्थी राशन डीलर को नोटिस जारी किया गया है एवं रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी जारी किया

जिला कलक्टर
करौली

गया है। नोटिस का जवाब अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला रसद अधिकारी करौली की पत्रावली में बांसबाड़ा जिले के उपभोक्ताओं के बयान भी संलग्न हैं जिनकी राशन सामग्री उनके द्वारा नहीं ली गई है एवं बाईपास करके निकाल ली गई है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में अवैध ट्राजैक्शन नहीं करने बाबत् कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है और कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य भी इस न्यायालय में पेश नहीं किया गया है जिसके कारण दिनांक 10.02.2020 को अपीलार्थी राशन डीलर का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा 77.75 क्विं. गेंहू का विभिन्न जिलों के उपभोक्ताओं के राशन कार्डों पर अवैध ट्रांजैक्शन कर दुरुपयोग किया जाना प्रमाणित है साथ ही अपीलार्थी राशन डीलर के मूल भाग व अटैच भाग पर कम पायी गयी राशन सामग्री 27.68 क्विं. गेंहू एवं 104 किलोग्राम चीनी के संबंध में भी अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा उक्त राशन सामग्री का दुरुपयोग किया जाना विदित होता है। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा कुल 105.43 क्विं. गेंहू एवं 104 किलोग्राम चीनी का दुरुपयोग किया गया है जो गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। इसलिये हम अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी करौली का आदेश दिनांक 10.02.2020 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित जिला रसद अधिकारी करौली का अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली